86

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 6–1/2002/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक२३/05/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषयः–विशेष पिछड़ी जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित प्रकिया का अनुसरण किए बिना नियुक्ति देने संबंधी ।

संदर्भः–इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6–1/2002/आप्र/एक, दिनांक 28 अगस्त 2002 एवं दिनांक 11 जनवरी 2010

––0––

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 मे अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 2002 द्वारा नियम–4–"ख" प्रतिस्थापित किया गया था । बाद में नवगठित जिले अनूपपुर एवं अशोकनगर को शामिल करते हुये अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2010 द्वारा निम्नांकित प्रावधान किया गया है :–

> **"4–ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध**– यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोक नगर में सहारिया आदिम जनजाति जिला मंडला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा के तामिया विकासखंड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उससे भर्ती से संबंधित प्रकिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा । "

....2...

letter 2

2/ इस संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 19.09.2002 की कंडिका (8) (iii) में स्पष्ट किया गया है, कि "उक्त वर्णित आदिम जातियों के उम्मीदवार जो उपरोक्त वर्णित जिलों के मूलनिवासी है और किसी भी जिले में संविदा शाला शिक्षक तथा तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक) या चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते है और यदि पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हैं तो उन्हें इन पदों पर, चयन संबंधी निर्धारित प्रकिया के अनुसरण किये बिना नियुक्त किया जावे । यदि उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में उपरोक्त आदिम जातियों के आवेदकों की संख्या अधिक रहती है, तो ही ऐसी स्थिति में संबंधित पद के लिये निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।"

3/ मध्यप्रदेश राज्य जनजाति आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय विभागों/जिलों में पद विज्ञापित किये बिना ही उक्त पिछड़ी जनजाति के व्यक्तियों से सीधे आवेदन लेकर नियुक्तियॉ दी जा रही है । उक्त कार्यवाही उचित नही है, क्योंकि पद विज्ञापित किये बिना सभी को जानकारी प्राप्त नही हो सकती । ऐसी कार्यवाही में इन्हीं जातियों के योग्य उम्मीदवार वंचित हो सकते है ।

4/ अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जब कभी संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये भर्ती की जाना हो तो विभाग/संबंधित कार्यालय द्वारा विज्ञापन अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए ताकि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन कर सके । इस प्रकार से प्राप्त आवेदनों में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता रखता है तो उसे अन्य उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति प्रदान की जाये ।

5/ उक्त निर्देशों का पालन सुनेश्चित किया जाय ।

(आर0के0 गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 6–1/2002/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 23/05/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, पध्यप्रदेश, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
9. सचिव, म0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल ।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर /इंदौर/ग्वालियर ।
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 52, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
14. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0 103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, हैदराबाद ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. आयुक्त/संचालक आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग